

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

PC VI No. 121  
RBE No. 119/109

No.E(P&A)I-2008/SP-1/AD-3.

New Delhi dated 30.06.2009

The General Managers  
All Indian Railways and PUs.

Sub: Payment of Hospital Care Allowance/Patient Care Allowance to Group 'C' and 'D' (Non-Ministerial) employees working in hospitals, dispensaries and organisations.

\*\*\*\*\*

In implementation of the Sixth CPC's recommendations for provision of adequate insurance cover to the Government employees, who face an element of risk in discharge of their official functions and are presently in receipt of Risk Allowance, it has been decided by the Government to introduce a Risk Insurance Scheme w.e.f. 01.04.2009 after consultation with staff side and to continue Risk Allowance till March 31, 2009.

2. The Ministry of Finance, Department of Expenditure have now conveyed their approval that Hospital Care Allowance/Patient Care Allowance and all other Risk Allowances in the Central Government may be allowed to continue for another 3 months i.e. till 30th June, 2009 and the Risk Insurance Scheme may be implemented w.e.f. 1.7.2009. Accordingly Risk Allowance shall continue to be payable to the eligible Railway servant till 30.06.2009 and the Risk Insurance Scheme, as finalised by the Department of Personnel & Training shall be implemented w.e.f. 01.07.2009.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

  
(Chander Parkash)  
Joint Director, Estt. (P&A),  
Railway Board

No.E(P&A)I-2008/SP-1/AD-3.

New Delhi dated 30.06.2009

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

  
for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)I-2008/SP-1/AD-3.

New Delhi dated 30.06.2009

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.

  
(Chander Parkash)  
Joint Director, Estt. (P&A),  
Railway Board

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पीसीVI/121  
आरबीई सं.1/9/2009

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/एडी-3

नई दिल्ली, दिनांक: 30.06.2009

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

**विषय:** अस्पतालों, डिसपेंसरियों तथा संगठन में कार्यरत ग्रुप 'ग' तथा 'घ' (नॉन मिनिस्ट्रीयल) कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता प्रदान करना।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, सरकारी कर्मचारियों, जो अपने सरकारी कार्य के निर्वहन में जोखिम का सामना कर रहे हैं तथा जो इस समय जोखिम भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, को पर्याप्त बीमा कवर की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद 01.04.2009 से जोखिम बीमा योजना शुरू करने और 31 मार्च, 2009 तक जोखिम भत्ता जारी रखने का विनिश्चय किया गया है।

2. बहरहाल, वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग ने अब संसूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार में अस्पताल रोगी देखभाल/रोगी देखभाल भत्ता एवं सभी अन्य जोखिम भत्ते अगले 3 महीनों अर्थात् 30 जून 2009 तक, के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाए और जोखिम बीमा योजना 01.07.2009 से कार्यान्वित की जाए। तदनुसार, जोखिम भत्ता, पात्र रेलवे कर्मचारियों को 30.06.2009 तक देय होगा और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई जोखिम बीमा योजना 01.07.2009 से कार्यान्वित की जाएगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

UJACW121

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/एडी-3

नई दिल्ली, दिनांक: 30.06.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।


2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

  
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/एडी-3

नई दिल्ली, दिनांक: 30.06.2009

विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों इत्यादि को प्रतिलिपि प्रेषित।


  
(चंद्र प्रकाश)  
संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/एडी-3

नई दिल्ली, दिनांक: 30.06.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फ्रोआ।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
13. महासचिव, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजी.) 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

  
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड।